

राजस्थान सरकार

शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प.14(4)/शिक्षा-1/चूरु/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 24/5/17

:: संशोधित आदेश ::


इस विभाग के सभसंख्यक आदेश दिनांक 14.08.2014 द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सिद्धमुख, चूरु को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धमुख चूरु में समन्वित (एकीकृत) किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सिद्धमुख, चूरु को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धमुख चूरु में किए गए सततचयन से पृथक करते हुए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सिद्धमुख, चूरु को श्री चूनानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धमुख चूरु में एतद्वारा समन्वित (एकीकृत) किया जाता है।

उक्त संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आज्ञा से,




(रामस्वरूप झालाजी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), शिक्षा विभाग।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षर विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
11. सभागीय आयुक्त, बीकानेर।
12. जिला कलेक्टर, ।
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा गुप-2, 5, 6
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, सभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
16. संबंधित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)

विशेषाधिकारी, शिक्षा